राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2430/2024

मुकेश कुमार गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2024
आदेश की दिनांक : 08.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 16.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत नारायणपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा में कार्यरत रखा जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत नारायणपुरा, पंचायत समिति, बांदीकुई, जिला दौसा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय निर्देशों की

अवहेलना करने पर एवं ग्राम पंचायत के कार्य में लापरवाही बरतने, स्पेशल ऑडिट कर रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने तथा कार्यालय का माहौल बिगाडने के आधार पर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है और निलंबन काल में मुख्यालय जिला परिषद, दौसा किया गया है। उनका कथन है कि निलंबन करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम स्वायत्त शासन विभाग में पारित आदेश में यह स्पष्ट रूप से माना है कि किसी भी कार्मिक को निलंबित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने का अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया हो और इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त विधि के विरूद्ध है और इस प्रकार अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के आशय से निलंबित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने का कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 16.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत नारायणपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा में कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कार्यों में अत्यंत लापरवाही व उदासीनता बरतना एवं कार्यालय का माहौल बिगाडना तथा बिना किसी बात के वाद विवाद करना, सामाजिक अंकेक्षण कार्य का रिकार्ड समिति को उपलब्ध नहीं कराना इत्यादि रहा है। अपीलार्थी को दिनांक 25.04.2024 को एक अंतिम स्मरण पत्र कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र भी जारी किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.05.2024 को दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को राजकीय आवास आवंटित किया गया, जो नियम एवं शर्तों के अनुसार आवंटित किया गया। परंतु अपीलार्थी ने नियमों एवं शर्तों के विपरीत जाकर राजकीय आवास के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया और अपीलार्थी को आवास संख्या 3 आवंटित किया गया है और अनाधिकृत रूप से व आवास

संख्या 4 के कमरो का भी उपयोग कर रहा है तथा आवास के बाहर 10 फीट लम्बा चबूतरा बनाकर रोड तक अतिक्रमण कर रखा है जो बिना सक्षम अनुमति के अपने स्तर पर ही निर्माण कार्य व अतिक्रमण किया गया है, जो अनुशासनहीनता को दर्शाता है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश/निर्देश की पालना नहीं करना, अपने राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतना, अन्य कई कारणों के कारण अपीलार्थी को नियम 13(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। अपीलार्थी को नियमानुसार निलंबन करने के लिये सक्षम अधिकारी है और सक्षम अधिकारी द्वारा ही निलंबित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा विकास अधिकारी को सिकंदरा चौराहे पर धमकाने एवं गाडी पर पथराव करने पर उसके विरूद्ध एफआईआर संख्या 0371/24 दिनांक 19.07.2024 को धारा 126(2), 125, 324(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना सिकंदरा में दर्ज करायी गयी और इस प्रकार अपीलार्थी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को यदि अन्य किसी प्रकरण में 17 सीसीए के तहत कोई आरोप पत्र दिया गया है, उसमें कोई दण्ड दिया गया है, उसका संबंध वर्तमान निलंबन से नहीं है और न ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त 17 सीसीए के आरोप पत्र के आधार पर कर्मचारी को निलंबित भी नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को सीसीए 16 के तहत आरोप पत्र तैयार किया गया है और दिनांक 23.08.2024 को दिया जा चुका है। अपीलार्थी ने कोई आवंटित आवास के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया है और बार–बार विभाग को निवेदन किया कि आवास की मरम्मत करवायी जावे। अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित नहीं किया गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति अधिकारी जिला परिषद है और उसे विकास अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है जो कि अपीलार्थी को निलंबित करने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत नारायणपुरा, पंचायत समिति, बांदीकुई, जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश

दिनांक 24.12.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने पर एवं ग्राम पंचायत के कार्य में लापरवाही बरतने, स्पेशल ऑडिट कर रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाने तथा कार्यालय का माहौल बिगाडने के आधार पर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन अनुलग्नक आर–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 25.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा राजकीय कार्यों का सही संपादन एवं संधारण नहीं किया जाना प्रकट होता है और जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर उसे आदेश दिनांक 30.04.2024 के द्वारा आरोप पत्र दिया गया तथा आदेश दिनांक 30.05.2024 के द्वारा दण्डित किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन रहा है। अपीलार्थी की उदण्डता के कारण उसके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है जो अनुलग्नक आर–7 से प्रकट होती है। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अपराधिक किस्म का कार्मिक है। इस प्रकार उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन एवं आधारों के आधार पर हमें अपीलार्थी की सेवायें संतोषजनक प्रकट नहीं होती हैं और इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया आलोच्य आदेश में हमें किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन परिलक्षित नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष